UPSH010036692026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनु0 जाति/अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, कक्ष सं0–02, शाहजहाँपुर।

<u>जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1271/2026</u>

रेनू पुत्र बादशाह आयु करीब 34 वर्ष, निवासी ग्राम–करकौर, थाना–जैतीपुर, जिला–शाहजहॉपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य। .....अभियोजन।

मुकदमा अपराध संख्या–110/2022,
धारा–452, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं
धारा–3(1)द, ध व 3(2)Va एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
थाना–जैतीपुर, जिला–शाहजहाँपुर।

<u>दिनांक–11.06.2026</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **रेनू** की ओर से उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है तथा अभियुक्त को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–528 भा0ना0सु0 संहिता संख्या–6400/2025, श्रीमती बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, निर्णीत दिनांकित 12.08.2025 के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप, उसके जमानत सम्बन्धी अधिकारों से अवगत कराया गया। अभियुक्त ने आग्रह किया कि उसके नियमित जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर, निस्तारण किया जावे।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है एवं न ही पूर्व में खारिज हुआ है।

न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस पर वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये और उनके द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर विरोध प्रकट किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा राजवीर ने सम्बन्धित थाने पर इस आशय की प्रथम सूचना दर्ज कराई कि दिनांक 05.03.2022 को समय 09:30 बजे शाम वह अपने परिवार के साथ घर पर था, तभी गॉव का ही रेनू पुत्र बादशाह, जो कि जाति से गुर्जर है, अपने हाथ में अवैध असलाह लेकर उसके दरवाजे पर आया तथा जातिसूचक गन्दी–गन्दी गालियॉ देते हुये जान से मारने की धमकी दी एवं लात मारकर, गेट खोलकर घर के अन्दर आ गया और कहा कि आज तुम लोगों को ठीक करेंगे। मैंने तेरी चोरी कर ली तो तूने क्या कर लिया, आज तुमको देख लेंगे। शोर सुनकर मोहल्ले के लोग आ गये, तभी वह भाग गया। एक घण्टे के बाद फिर विपक्षी, उसके घर पर आया और गन्दी–गन्दी गालियॉ जातिसूचक देता रहा। उसने दरवाजा अन्दर से बन्द कर लिया और 112 नं0 पर फोन किया। पुलिस के पहुॅचने पर विपक्षी भाग गया। उक्त विपक्षी, उससे रंजिश इसलिये मानता है कि विपक्षी ने दिनांक 15.09.2020 को उसके घर में चोरी की थी, जिसका प्रार्थना पत्र थाने में दिया था।

अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि वह निर्दोष है, उसे झूंठा फँसाया गया है। वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 9 दिन के विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। उसको जमानत मिलने के पश्चात् न्याय से भागने या साक्ष्य प्रभावित करने का कोई भय नहीं है। उक्त आधारों पर अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

Digitally signed by ASHISH VARMA
Date: 2026.06.11 17:18:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर गृह–अतिचार किया गया तथा उसके साथ गाली–गलौज व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर साशय अपमानित किया गया एवं जान से मारने की धमकी देकर अभित्रास कारित किया गया। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

वादी व अभियुक्त के विद्धान अधिवक्तागण तथा अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्को को सुना, जमानत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त पर वादी मुकदमा के घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर गृह–अतिचार करने तथा उसके साथ गाली–गलौज व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर साशय अपमानित करने व जान से मारने की धमकी दिये जाने का आक्षेप है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध सात वर्ष तक के दण्ड से दण्डनीय है। अभियुक्त द्वारा अन्तरिम जमानत पर रहने के दौरान जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है। अभियुक्त सजायाफ़्ता हो अथवा उसका कोई आपराधिक इतिहास हो, ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही ऐसा कोई तर्क अभियोजन ने प्रस्तुत किया है।

माननीय न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **Satendra Kumar Antil Vs Central Bureau Of Investigation and Another reported in (2021)10 SCC 773** में प्रतिपादित मत को ध्यान में रखते हुए मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का युक्तियुक्त आधार पाता है। तद्नुसार प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त **रेनू** द्वारा **मु0 25,000/–रुपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

1– प्रार्थी/अभियुक्त यह वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह प्रत्येक नियत दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा अभियोजन साक्षीगण की उपस्थिति की दशा में वे कोई स्थगन नहीं देगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त उक्त अपराध, जैसा करने का उस पर अभियोग या संदेह है, जैसा कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

3– प्रार्थी/अभियुक्त उक्त मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को तथ्य प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरण, धमकी या प्रलोभन नहीं देगा व न ही साक्ष्य को प्रभावित करेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकती है।

दिनांकः 11.06.2026

(आशीष वर्मा)
विशेष न्यायाधीश, अनु0 जाति/
अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,
कक्ष सं0–2, शाहजहाँपुर।
आई0डी0 नं0–यू0पी0 6211